

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 166 वर्ष 2016

आवेदक-गांगेश्वर महतो वगै०
 ग्राम - कुन्दा टोला-+++
 थाना - महुआटांड जिला-बोकारो

क्रेता- आंजो देवी
 ग्राम - कुन्दा टोला-+++
 थाना - महुआटांड जिला- बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
 कार्रवाई के बारे :
 टिप्पणी तारीख व
 साथ।
 03

02

आदेश

यह वाद आवेदक गांगेश्वर महतो, भुनेश्वर महतो दोनों पिता स्व० गणेश महतो निवासी ग्राम कुन्दा थाना महुआटांड जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
कुन्दा	41	20	577	49 डी०	10 डी०	कृषि योग्य

को वे मकान मरम्मत हेतु मो० 60,000/- (साठ हजार) रुपये में क्रेता-आंजो देवी पति जयबीर महतो ग्राम कुन्दा थाना -महुआटांड जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 511/(ख) रा० दिनांक 16.09.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1017 दिनांक 05.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों ग्राम-कुन्दा एवं थाना-महुआटांड जिला-बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता के छरदादा तारो महतो वगै० के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी दिनु महतो वगै० के नाम से पंजी-II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत से बिक्रेतागण का छरदादा तथा जमाबन्दीधारी रैयत से परदादा का संबंध है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज तारो महतो वगै० के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी दिनु महतो वगै० के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- तारो महतो वगैरे के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा दिनु महतो व सोबरन महतो के नाम लगान रसीद की छायाप्रति।

02. क्रेता-स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक गांगेश्वर महतो, भुनेश्वर महतो दोनों पिता स्व० गणेश महतो- ग्राम कुन्दा थाना महुआटॉड जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न ०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
कुन्दा 41	20	577	49 डी०	10 डी०	धान नीज लेख्यधारिणी	धान नीज लेख्यधारिणी	सहदेव महतो	कारुलाल महतो वार्क

10 (दस) डीस्मल मात्र।

मो० 60,000/- रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- आंजो देवी पति जयबीर महतो ग्राम कुन्दा थाना -महुआटॉड जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।